NA-1/27/2023-NA

1042370/2023/NA

Office of the Principal Chief Conservator of Forests (CAPMA), Van Bhawan, Bhopal (M.P.)

Telphone No. 0755-2674288, Fax No. 0755-2674234, E-Mail:- pccfcampa@mp.gov.in

No. /CAMPA/2023/ 3840 **Bhopal, dated** 15-9-23

To,

Shri Shivanand S.Talawar
Assistant Inspector General of Forests
National Authority of CAMPA
Hall No. 1, 4th Floor,
Block No. 3, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi - 110003

Sub:- Furnishing the notification under which the CAMPA authority in the State/UT has been established-Reg.

Ref.:- Your letter no. F.No.NA-1/27/2023-NA dated 11.09.2023

---0---

Respected Sir,

With reference to the above mentioned subject please find enclosed the information related to establishment of State Fund as well as constituion of State Authority :-

(1)	The official gazette notification by which the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (State CAMPA) and the State Compensatory Afforestation Fund has been established in your State / UT	(1) सेक्शन 4(1) अंतर्गत स्टेट फण्ड के गठन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2018 की छायाप्रति परिशिष्ट–01 पर संलग्न है। (2) मध्यप्रदेश राज्य प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2013 की छायाप्रति परिशिष्ट–02 पर संलग्न है।
(2)	The cpies of all notifications related to appointment of Chief Executive Officer of State / UT CAMPA	मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थिति के संबंधित में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन के आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट–03 पर संलग्न है।
(3)	The names of Non-official /Expert members nominated in the State Governing Body, Steering Committee and the Executive Committee of the State CAMPA and currently in position.	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Thanking you,

Yours Sincerely,

15/9/23

CEO (CAMPA)
Madhya Pradesh, Bhopal

D/M/campa information/treasury APO 2023-24/letter & notsheet 2023-24

परिशिष्ट-1

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 581] भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2018—आश्विन 25, शक 1940

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-3-24-2018-दस-2.—प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 36) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, इस अधिनियम के उपयोगार्थ, मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत 'मुख्य शीर्ष 8121-साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां' के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129-मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एम. पी. सी. ए. एफ.) के अंतर्गत एक विशेष निधि के रूप में संदर्भित मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एम. पी. सी. ए. एफ.) का एतद्द्वारा गठन करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-3-24-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-24-2018-दस-2, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 17th October 2018

No. F-3-24-2018-X-2.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), read with Section 22 of the General Clauses Act 1897, the State Government hereby establishes for the purposes of this Act, a special Fund referred as 'Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund (MPCAF)' under interest bearing section of Public Account of Madhya Pradesh under a distinct Minor head 129 'Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund (MPCAF)' below the 'Major Head 8121-General and other Reserve Funds'.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

परिशिष्ट-2 (75)

(1)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 29, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. ई-5-818-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. ई.-5-353-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 20 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2013 तक अठारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अध्यक्ष, रौजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-611-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. एल. कांताराव, आयएएस., अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. कांताराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एल. कांताराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एल. कांताराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-620-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस., आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीलम शमी राव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2013

क्र. ई.-5-649-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस., आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2013 तक सैंतालीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृति किया गया था, के स्थान पर अब दिनांक 5 अक्टूबर से 26 नवम्बर 2013 तक तिरेपन दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृति किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से दिनांक 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री धनराजू एस., भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका भार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-849-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सी. बी. सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सी. बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री श्रीकांत बनोठ, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. बी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सी. बी. सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीकांत बनोठ कलेक्टर, जिला धार के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सी. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-791-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस., कलेक्टर जिला भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 6 जनवरी 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. जामोद, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. जामोद कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर, 2013

क्र. एफ-3-6-2013-एक-4.—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भोपाल तथा धार जिलों में संलग्न सूची अनुसार मतदान केन्द्रों पर गुरुवार दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिये गये हैं.

(2) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर 2013 विधान सभा चुनाव 2013 के अनुक्रम में मतदान के दिन उपरोक्त जिलों में पुनर्मतदान वाले मतदान केन्द्र के क्षेत्रों में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, गुरुवार दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2013 हेतु दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को जिन मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान होना है, की सूची

स.क्र.	जिले का नाम	विधान सभा क्षेत्र का क्र. व नाम	मतदान केन्द्र का नाम
1	भोपाल	152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम	61 अम्बेडकर नगर
		153-भोपाल मध्य	93-जहांगीराबाद
2	धार	199-मनावर (अ.ज.जा.)	83-कालीबावड़ी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 93-05-ब-2-दो.—श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में चेरापूंजी (असम) सपत्नीक अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री डी. पी. सिंह, - स्वयं
2. श्रीमती सरोज सिंह - पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते में घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, का कार्य श्री सचिन अतुलकर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक)-4415-13.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस

विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 13 जुलाई, 2010 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में, दिनांक 23 जुलाई, 2010 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री महेश कुमार शर्मा, षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किए गए अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय, जबलपुर होगा, अर्थात्:—

राजस्व जिले

(1) जबलपुर, (2) नरसिंहपुर, (3) दमोह, (4) सिवनी, (5) सतना, (6) पन्ना, (7) शहडोल, (8) कटनी, (9) अनूपपुर.

F. No.1-5-96-XXI-B-I-4415-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B-I, dated 13th July, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 23rd July, 2010, the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Mahesh Kumar Sharma, VIth Additional Sessions Judge, Jabalpur, as a Special Judge with Headquarter at Jabalpur, for the area comprising of the Revanue Districts specified below to try the cases in regard to the affences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act and all other affences investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely:—

REVENUE DISTRICTS

(1) Jabalpur, (2) Narsinghpur, (3) Damoh, (4) Seoni, (5) Satna, (6) Panna, (7) Shehdol, (8) Katni, (9) Anooppur.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर, 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री निशांत गर्ग आत्मज श्री सत्यपाल गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दतिया, मध्यप्रदेश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश का त्यापत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 1(बी)17-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2012 द्वारा नियुक्त श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव के आदेश के किये गये संशोधन आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त आदेश की चतुर्थ पंक्ति क्रमांक 4 एवं 5 में अंकित "दिनांक 5 जनवरी 2014 के स्थान पर दिनांक 5 जनवरी 2015" पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-5-2-2009-दस-3.—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-1-2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 में निहित मार्गदर्शी निर्देशों एवं 2 जुलाई 2009 को जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में वनों के संवर्धन एवं वृक्षाच्छादन बढ़ाने एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबन्धन क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य संबंधित कार्यों के प्रबन्धन, जिसमें गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के प्रयोग के बदले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, जैव विविधता एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्राप्त राशि के उपयोग हेतु राज्य शासन "राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण" (जिसे इसके बाद राज्य कैम्पा कहा जावेगा) का गठन करता है. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-17-2012-1-4, दिनांक 16 फरवरी 2012 द्वारा गठित शासी निकाय एवं संचालन समिति तथा वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 05-02-2009-10-3, दिनांक 28 मार्च 2012 द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति मध्यप्रदेश राज्य कैम्पा की भाग होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-5-2-2009-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-2009-दस-3, दिनांक 11 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 11th December 2013

No. F-5-2-2009-X-3.—The Government of Madhya Pradesh, in compliance to the instructions contained in Ministry of Environment and Forests, Government of India's letter No. 5-1-2009-FC, dated 28th April 2009 and guidelines of 2nd July 2009 issued on the subject, hereby constitutes "State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority" (hereinafter referred to as State CAMPA) for the purpose of enhancement of forest and tree cover and conservation & management of wildlife and infrastructure development in the sector and other allied works by utilizing funds received towards Compensatory Afforestation, Net present Value (NPV) and protection of Biodiversity & Wildlife under Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of the forest land. The M.P. State CAMPA shall consist of Governing Body & a Steering Committee constituted by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh vide Order No. F 19-17-2012-1-4, dated 16th Feb 2012 and an Executive Committee constituted by the order of Forest Department, Government of Madhya Pradesh vide Order No. F 05-02-2009-X-3, dated 28th March 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASANT KUMAR, Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

संशोधन

क्र. एफ-6-9-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी, प्रधान मजिस्ट्रेट के पदनाम में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भिण्ड	भिण्ड	श्री अजय कु. टेलर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
2	शहडोल	शहडोल	श्रीमती माधुरी राज लालजी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
3	राजगढ़ (ब्यावरा)	राजगढ़ (ब्यावरा)	श्री राजेन्द्र कुमार बाथम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
4	नीमच	नीमच	श्री संजीव कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

AMENDMENT

No. F-6-9-2013-L-2.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby ammends the designation of Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhind	Bhind	Shri Ajay Ku. Tailor, Chief Judicial Magistrate.
2.	Shahdol	Shahdol	Smt. Madhuri Raj Lalji, Chief Judicial Magistrate.
3	Rajgarh (Bioara)	Rajgarh (Bioara)	Shri Rajendra Kumar Batham, Chief Judicial Magistrate.
4.	Neemuch	Neemuch	Shri Sanjeev Kumar Gupta, Chief Judicial Magistrate.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 04.12.2020

क्रमांक एफ 3-01/2020/10-2 :: राज्य शासन एतदद्वारा "मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, (राज्य कैम्पा प्राधिकरण) भोपाल, मध्यप्रदेश" कार्यालय की स्थापना तथा निम्नानुसार पदों के सृजन तथा उन्हें प्रतिनियुक्ति से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

पद का नाम	संख्या	वेतनमान
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न स्तर का अधिकारी)	01	144200-218200 एवं उससे अधिक
उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (भारतीय वन सेवा संवर्ग का उप वन संरक्षक से अनिम्न स्तर का अधिकारी)	01	118500-214100
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	01	79900-211700
निज सहायक	01	36200-114800
स्टेनों	01	28700-91300
सहायक ग्रेड-1	01	28700-91300
सहायक ग्रेड-2	02	25300-80500
सहायक ग्रेड-3	03	19500-62000
भृत्य/डाक रनर	05	15500-49000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

02.12.2020

(एच.एस. मोहन्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

04.12.2020

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3-01/2020/10-2

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश आइटम क्रमांक 18 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल
5. विशेष सहायक माननीय वन मंत्री जी, मध्युप्रदेश शासन
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
7. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, (राज्य कैम्पा प्राधिकरण) भोपाल, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. गार्ड फाइल।

4.12.2020

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

PCCF (CAMPA) / SPK

प्र.मु.व.सं. (वन बल प्रमुख)
म.प्र. भोपाल
04/12/20

7660
04-12-20